रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13062024-254685
SG-DL-E-13062024-254685

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2024/ज्येष्ठ 21, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 67
No. 150]	DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2024/JYAISHTHA 21, 1946	[N. C. T. D. No. 67

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2024

फा0 सं0 5/64/ 2022/स्था0/सह0/विवि0/भर्ती नियम/615.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59—एमआईएन (एच) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **स्टाफ कार चालक (ग्रेड—I)** के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (i) इन नियमों को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, स्टाफ कार चालक (ग्रेड—I) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली के शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की

है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका

है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः–** इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**स्टाफ कार चालक (ग्रेड–I)**
2.	**पदों की संख्या**	:	***03 (2024)** * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह–'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा

11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (रुपये 25500–81100/–) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड–II) अथवा स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड–II) तथा सामान्य ग्रेड में 15 वर्षों की संयुक्त सेवा सहित तथा उन्होंने परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टीप :–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव / सचिव (लो0नि0वि0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (शह0 वि0) – **सदस्य** **टीप :–** यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रदीप कुमार, उप रजिस्ट्रार (सहकारी)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 11th June, 2024

F. No. F.5/64/2022/Estt./Coop./Misc/RR.615.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Min (H) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of **STAFF CAR DRIVER (GRADE-I)** in the Registrar Cooperative Societies Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. **Short title and commencement** – (i) These rules may be called the Department of Registrar Cooperative Societies, Staff Car Driver (Grade-I) Recruitment Rules, 2024.

   (ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.

2. **Number of post, classification and pay level in the Pay Matrix-** The number of said posts, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) to the schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules..

4. **Disqualifications-** No Person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of posts	Staff Car Driver (Grade-I)
2.	Number of Posts	*03 (2024) *Subject to variation Dependent on work-load
3.	Classification	General central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	LEVEL 5 (Rs. 29200- 92300/-) of the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of Recruitment, whether by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By Promotion
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade-II) in the Pay Level 4 (Rs.25500-81100/-) of the Pay Matrix with 06 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver (Grade-II) and Ordinary Grade and have passed the trade test, specified by the Transport Department, GNCTD). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be

		considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'C' DPC (for considering Promotion): 1. Principal Secretary/Secretary (PWD) **- Chairman** 2. Head of the Department Concerned **- Member** 3. Dy. Secretary (UD) **- Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13.	Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi,

PRADEEP KUMAR, Dy. Registrar (Cooperative)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.06.13 22:37:10 +05'30'